पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 23 मई, 2016 ई0

ज्येष्ठ 02, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1

संख्या 573/XIV–1/2015–09(2)/2013

देहरादून, 23 मई, 2016

अधिसूचना

प0 आ0–70

राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 243ZK(2) तथा उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 समय समय पर यथासंशोधित की धारा 29(3) सहपठित धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के कियान्वयन हेतु निम्नलिखित विनियमावली बनाते है।

उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की सेवा–शर्तों के बारे में विनियम, 2016,

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और विस्तार:–

(1)इस विनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की सेवा–शर्तों के बारे में विनियम, 2016" है।

(2) यह दिनांक 22 मार्च, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं:–

यदि संदर्भ और विषय में कोई बात प्रतिकूल न हो तो इस विनियम में–

(क) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल अभिप्रेत हैं।

(ख) 'प्राधिकरण' से उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(ग) 'अध्यक्ष' से उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(घ) 'सदस्य' से उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के सदस्य अभिप्रेत है।

(ङ) 'संविधान' से भारत का संविधान अभिप्रेत है।

अध्याय–दो
प्राधिकरण का गठन, नियुक्ति, पदच्युति, कार्यकाल

प्राधिकरण का गठन

3. राज्य की सहकारी समितियों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नियमावलियां तैयार करने और उन सभी निर्वाचनो के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण हेतु उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण होगा।

अध्यक्ष एवं सदस्य

4. प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होंगे:–

(क) राज्य सरकार के सचिव पद से अनिम्न सेवारत अथवा सेवा–निवृत्त अधिकारी, जिसको निर्वाचन कार्य का समुचित अनुभव हो। –अध्यक्ष

(ख)राज्य सरकार के न्यूनतम द्वित्तीय श्रेणी कें सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी, जिन्हें सहकारी समितियों के निवार्चन का अनुभव हो –सदस्य

सचिव

5. **प्राधिकरण का सचिव** – राज्य के सहकारिता विभाग के समूह क से अनिम्न स्तर के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा, जो प्राधिकरण के नियन्त्रणाधीन होगा।

गणपूर्ति

6. प्राधिकरण की **गणपूर्ति** कम से कम दो सदस्यों (अध्यक्ष/सदस्य को सम्मिलित करते हुए) से होगी। किसी प्रकरण में मतभिन्नता/विवाद की स्थिति में पूर्ण पीठ द्वारा विचार किया जाएगा तथा निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा।

नियुक्ति–

7. सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

सेवावधि

8

(क)– प्राधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य अपना पद धारण करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए पद पर बना रहेगा। प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण का अध्यक्ष अथवा सदस्य नहीं रहेगा यदि:–

(I) उसने 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो,

(II)दिवालिया घोषित हो गया हो,

(III)नैतिक भ्रष्टाचार से जुडे किसी अपराध में सजा पा चुका हो,

(IV)अपने कार्यकाल के दौरान अन्य किसी स्थान पर सवैतनिक सेवायोजित रहा हो,

(V) शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो,

(VI)मा0 उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश द्वारा की गयी जांच में दोषी सिद्ध हो जाए।

(ख)--यदि कोई व्यक्ति अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने से पूर्व अध्यक्ष/सदस्य के रुप में कार्य कर रहा है, तो भले ही वह अपनी मूल सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका हो परन्तु प्राधिकरण के सदस्य के रुप में नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष तक कार्य करता रहेगा, और उसके लिए अलग से अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग)–प्राधिकरण के अध्यक्ष व सदस्य सरकार को दो माह की नोटिस के पश्चात् किसी भी समय अपना पदत्याग कर सकते हैं।

(घ)–कोई भी व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति का सभापति/उपसभापति या प्रशासक हो प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

प्राधिकरण का मुख्यालय

9 प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

अध्याय–तीन
वेतन व अन्य परिलब्धियां

वेतन व अन्य परिलब्धियां

10. इस नियमावली के लागू होने के समय प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों को अनुमन्य वेतनमान एवं अन्य सुविधायें निम्नवत् होंगे, जो वेतन आयोग की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पुनर्निर्धारित किए जा सकेंगे:–

(क) वेतनमान –

पद का नाम	वेतनमान/ग्रेड वेतन (धनराशि रूपये में)
अध्यक्ष	37400–67000, ग्रेड वेतन–10,000
सदस्य	15600–39100, ग्रेड वेतन–5400

1 (परन्तु उपबन्ध) यह है कि प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्य नियुक्त किए गये व्यक्ति, जो राज्य सरकार की सेवा से सेवा–निवृत्त हुए हों, का वेतन/ग्रेड वेतन सेवा–निवृत्त होने के समय उनके वेतन/ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की स्थिति में राज्य सरकार के संगत शासनादेशों द्वारा अवधारित प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार वेतन–भत्ते अनुमन्य होंगे।

2. अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का जो कि पेंशन के रुप में सेवा–निवृत्तिक लाभ प्राप्त कर रहा है अथवा प्राप्त करने का हकदार हो गया है, उपर्युक्त वेतन, उसकी कुल पेंशन राशि से जिसमें पेंशन राशिकरण का भाग भी यदि कोई हो, शामिल होगा, घटाते हुए प्रदान किया जाएगा।

(ख) अध्यक्ष एवं सदस्यों को महंगाई भत्ता उसी भांति देय होगा जिस प्रकार राज्य सरकार के अधिकारियों को अनुमन्य होता है।

(ग) अध्यक्ष अथवा सदस्य के रुप में नियुक्त किसी व्यक्ति को अवकाश तथा तत्सम्बन्धित अन्य लाभ उसी प्रकार अनुमन्य होंगे, जिस प्रकार राज्य सरकार के समतुल्य श्रेणी के अधिकारी को होते हैं (प्रतिबन्ध यह है कि अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त पेंशन उपादान (ग्रेच्युटी) की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी)।

(घ) अध्यक्ष अथवा सदस्य (अधिवर्षता आयु पूर्ण करने तक) **साधारण भविष्य निधि** में इच्छानुसार कटौती कराने का पात्र होगा। यदि वह साधारण भविष्य निधि में इस प्रकार की कोई कटौती कराता है तो, साधारण भविष्य निधि कटौती में समय–समय पर संशोधित किए गये साधारण भविष्य निधि नियम, 1985 के प्राविधान लागू होंगे (प्रतिबन्ध यह है कि अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं होगी)।

(ड़) **यात्रा भत्ता**– अध्यक्ष अथवा सदस्य को प्राधिकरण के कार्य निष्पादन हेतु की गई यात्रा अथवा स्थानान्तरण (प्राधिकरण में योगदान करने पर की गई यात्रा) अथवा प्राधिकरण से सेवा समाप्ति के पश्चात् अपने गृह नगर को वापसी यात्रा के समय यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते उसी दर से अनुमन्य होंगे जो कि राज्य सरकार के समतुल्य श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य होते हैं।

(च) **निवास**– प्रत्येक व्यक्ति जो कि प्राधिकरण का अध्यक्ष अथवा सदस्य नियुक्त होगा उसे नियमानुसार राज्य सरकार के समकक्ष पदधारक को अनुमन्य श्रेणी के आवास के समान आवास उपलब्ध होगा, प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस प्रकार का आवास राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है अथवा अध्यक्ष अथवा सदस्य इस प्रकार के आवास की सुविधा का उपभोग नही करना चाहता, तो वह राज्य सरकार द्वारा उक्त श्रेणी के लिए अनुमन्य मकान किराया भत्ता नियमानुसार पाने का हकदार होगा।

(छ) **वाहन व टेलीफोन सुविधा**– प्राधिकरण के अध्यक्ष हेतु एक वाहन /समकक्ष वाहन भत्ता राज्य सरकार के संगत शासनादेश में निहित शर्तों के अनुसार अनुमन्य होगा तथा प्राधिकरण के सदस्य हेतु 5000 प्रति माह वाहन भत्ता देय होगा। प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य राज्य सरकार में समकक्ष श्रेणी के अधिकारियों को अनुमन्य टेलीफोन सुविधा के लिए अधिकृत होंगे।

(ज) **चिकित्सा सुविधा**– अध्यक्ष तथा सदस्य राज्य सरकार में समकक्ष श्रेणी के अधिकारियों को उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं हेतु अधिकृत होंगे।

(झ) **अन्य उपबन्ध**–अध्यक्ष अथवा सदस्यों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में इस नियमावली में यदि कोई स्पष्ट प्राविधान न हो तो वे नियम लागू होंगे, जो कि उनके मूल पद से सेवा–निवृत्ति के समय अथवा राज्य सरकार के समतुल्य श्रेणी के अधिकारी पर लागू होते हों।

अध्याय–चार
कर्मचारी

कर्मचारी 11. प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू संचालन हेतु प्राधिकरण में उतने अधिकारी एवं कर्मचारी होंगें जितने राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किये जायेंगें। प्राधिकरण के समूह ग एवं घ के कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी प्राधिकरण का सचिव होगा।

आज्ञा से,

विजय कुमार ढौंडियाल,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 गन्ना चीनी सह0/272–2016–100+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

साधारण भविष्य निधि कटौती मे समय–समय पर सशोधित किये गये साधारण भविष्य निधि नियम, 1985 के प्राविधान लागू होगे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अध्यक्ष अथवा सदस्य उच्चत्तर न्यायिक सेवा अथवा अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है तो वह उन नियमो से नियत्रित होगा जो कि उसके न्यायाधिकरण मे योगदान से पूर्व उस पर लागू थे ।

(6) यात्रा भत्ता– अध्यक्ष अथवा सदस्य को यात्रा अवधि मे अथवा स्थानान्तरण (न्यायाधिकरण मे योगदान करने पर की गई यात्रा अथवा न्यायाधिकरण से सेवा समाप्ति के पश्चात अपने गृह नगर को वापसी यात्रा सहित) के समय यात्रा भत्ता, घरेलू सामान ढुलान व्यय और अन्य भत्ते उसी दर से अनुमन्य होंगे जो कि राज्य सरकार के समूह "क" के समान वेतन आहरित करने वाले अधिकारी को अनुमन्य होते है ।

(7) निवास–प्रत्येक व्यक्ति जो कि न्यायाधिकरण का अध्यक्ष अथवा सदस्य नियुक्त होगा उसे राज्य सरकार मे समकक्ष पद धारक अधिकारी को अनुमन्य श्रेणी के आवास के समान किराया मुक्त आवास उपलब्ध होगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस प्रकार का आवास राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नही कराया जाता अथवा अध्यक्ष अथवा सदस्य इस प्रकार के आवास की सुविधा का उपभोग नहीं करना चाहता, तो उसे वास्तविक किराया भत्ता अथवा अधिकतम रुपये 8000 (आठ हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ता देय होगा ।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अध्यक्ष अथवा सदस्य स्वयं के अथवा उसकी पत्नी / पति के आवास मे निवास कर रहा हो, तो वह राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार मकान किराया भत्ते का हकदार होगा ।

(8) वाहन एव टेलीफोन सुविधा–अध्यक्ष स्टाफ कार के लिए अधिकृत होगा तथा प्रत्येक सदस्य को रु0 2500 (दो हजार पाच सौ रुपये) प्रतिमाह का वाहन भत्ता एवं रुपये 2000 (दो हजार रुपये) प्रतिमाह निवास एवं कार्यालय हेतु टेलीफोन भत्ता अनुमन्य होगा ।

(9) चिकित्सा सुविधा–अध्यक्ष अथवा सदस्य राज्य सरकार मे समकक्ष श्रेणी के अधिकारियो को उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं के लिए अधिकृत होंगे ।

(10) अन्य उपबन्ध–अध्यक्ष अथवा सदस्य की सेवा शर्तो के सम्बन्ध में इस नियमावली मे यदि कोई स्पष्ट प्राविधान न हो तो वे नियम / प्राविधान लागू होगें जो कि उसके सेवानिवृत्ति के समय अथवा राज्य सरकार के श्रेणी "क" के अधिकारी पर लागू होते है ।

273 (क)–न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य अपना पद धारण करने की तिथि से सात वर्ष के लिये पद पर बना रहेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी व्यक्ति न्यायाधिकरण का अध्यक्ष अथवा सदस्य नही रहेगा यदि उसने,

(i) अध्यक्ष के मामले में 67 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो : और

(ii) सदस्य के मामले में 66 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो ।

(ख)–यदि कोई व्यक्ति अपनी अधिवर्षता की उम्र प्राप्त करने से पूर्व अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो तो वह भले ही अपनी मूल सेवा से सेवा निवृत्त हो चुका हो, परन्तु न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में 67 या 66 वर्ष की आयु तक जैसी भी स्थिति हो तक निरन्तर कार्य करता रहेगा और उसके लिए अलग से अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग)– कोई अधिकारी, न तो न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जायेगा अथवा न बना रह सकेगा यदि वह किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति का सभापति / प्रशासक उपसभापति हो या हो जाता है ।